भाग–IV

नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उपवनसंरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये।		प्रस्तावित क्षेत्र मार्ग उन्नयन का प्रकरण है जिसमें 31.679 हे. वन भूमि प्रभावित हो रही है। यह मार्ग जिन वन क्षेत्रों से होकर गुजरता है वह सतपुड़ा, पेंच कॉरीडोर क्षेत्र में आता है। भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8–64/2013–एफ.सी. दिनांक 20.08.2014 से स्पष्ट किया है कि वन (संरक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृति राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड से अनुमति प्राप्त न होने के कारण लंबित नहीं रखा जावेगा। चूंकि सतपुड़ा, पेंच कॉरीडोर अधिसूचित नहीं है। अतः इस मार्ग के विषय में राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड से अनुमति लेने की आवश्यकता है अथवा नहीं यह स्पष्ट नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रस्ताव भारत सरकार को इस शर्त के साथ अनुशंसित किया जाता है कि यदि राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड की अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो तो आवेदक इसे प्राप्त करेगा।

तिथिः–03.01.2015

स्थानः– भोपाल

(सी.पी. राय)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल